कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–कबीरधाम

//आदेश//

क्रमांक एफ–111/144/सां.लि./2020/ 8155 कवर्धा, दिनांक 19.11.2020

विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा अपनी मांगो को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आमसभा कर आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाये जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है।

अतः मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम, कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करता हूँ–

(1) रानी दुर्गावती चौक, कवर्धा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कवर्धा तक तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रैली, जुलुस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति एकत्रित नहीं होंगे और न ही ध्वनि यंत्रों का उपयोग करेंगे।

(2) यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

(3) इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

यह आदेश जारी दिनांक 19.11.2020 से 18.01.2021 तक प्रभावशील होगा।

(रमेश कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

पृ.क्रमांक एफ–111/144/सां.लि./2020/ 8156 कवर्धा, दिनांक 19.11.2020

प्रतिलिपि–

1. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जिला के सर्व संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश की प्रति उपलब्ध करावें एवं पारित आदेश का कियान्वयन सुनिश्चित करें।
2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कवर्धा/बोड़ला/पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामान्य के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ तथा दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित।

19/11/2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम